बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

संचिका संख्या–01/स्था०क्षे०–412/2021 1904/ई०वि० पटना, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

कार्यालय आदेश

श्री शशि कुमार श्रीवास्तव, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय–उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के आवेदन दिनांक–01.07.2026 द्वारा उनकी सेवा बेल्ट्रॉन को वापस करने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के पत्रांक–85 दिनांक–06.07.2026 द्वारा उनके स्थान पर किसी अन्य डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के पदस्थापन का अनुरोध किया गया।

बेल्ट्रॉन के ज्ञापांक–MP-1131/26 दिनांक–18.09.2026 द्वारा श्री श्रीवास्तव, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को पैनल से विलोपित किया जा चुका है। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के पत्रांक–108 दिनांक–05.10.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि अबतक श्रीवास्तव के जगह पर किसी डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा बेल्ट्रॉन से प्राप्त नहीं हुई है।

उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के अनुरोध के आलोक में ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया से उनके कार्यालय में पदस्थापित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की संख्या की सूचना की मांग की गई। ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया के पत्रांक–716 दिनांक–03.09.2026 द्वारा उक्त कार्यालय में चार डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के कार्यरत रहने की सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिनमें से श्री अविनाश कुमार झा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर कार्यालय– ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया द्वारा अपने वृद्ध एवं बीमार माता–पिता के देखभाल हेतु मोतिहारी में प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया से प्राप्त सूचना एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के अनुरोध के आलोक में श्री अविनाश कुमार झा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर के आवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अगले आदेश तक उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी के कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(अनिल कुमार झा)
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या–01/स्था०क्षे०–412/2021 1904/ई०वि० पटना, दिनांक 12 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि–ईखायुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/ श्री अविनाश कुमार झा, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कार्यालय–ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल, बेतिया/आई०टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।